FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

मंजूदेवी बनाम हाकमसिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 105/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27/9/20	वकील उभय पक्ष उप०, पत्रावली एवं प्रस्तुत रामीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रामीनामा को मैं नामीगण द्वारा बिना किसी दबाव के अपना कोई भी स्वत्व समिट होने से इन्कार किया है तथा दावा प्रतिवादीगण के हक में निर्णीत करने हेतु निवेदन किया है इसलिए दावा स्वतः ही नामंजूर से चला है क्योंकि दावा स्वत्व योग्य का है। इसलिए दावा मुताबिक रामीनामा इसी से जप्त वादिया किया जाता है। पक्षों ने अपनी अपनी पत्रावली पेशगी खुमार देकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	